अतिमहत्वपूर्ण

संख्या:34/2017/922जेएल/22-3-17-38/2005

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनाक: 27 अप्रैल, 2017***

विषय- प्रदेश की कारागारों में बंदियों की अवांछित गतिविधियों पर नियंत्रण एवं मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की कारागारों में मोबाइल फोन के उपयोग पर नियंत्रण स्थापित किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-2913जेएल/22-3-2003, शासनादेश संख्या-3411जेएल/22-3-2013-38/2005, दिनांक 29-01-2014 एवं शासनादेश संख्या-17/2017/901जेएल/22-3-17-38/2005, दिनांक 07-04-2017 द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं। समाचार पत्रों/मीडिया के माध्यम से शासन के संज्ञान में ऐसी घटनाएं आई हैं कि कारागारों में निरूद्ध कुख्यात/माफिया प्रकृति के शातिर अपराधियों द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग कर कारागार से आपराधिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि उक्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कारागार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है, जो उचित नहीं है।

2- अतएव निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश में पूर्णरूप से कानून व्यवस्था स्थापित करने तथा प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने हेतु कारागारों में निरूद्ध बंदियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उनके द्वारा जेल के भीतर से किसी प्रकार की अनधिकृत सामग्री एवं मोबाइल का उपयोग न किया जाय ताकि वे कारागार में आपराधिक गतिविधियों का संचालन न कर सके। इन बंदियों को अनुमन्य सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की कोई सुविधा कदापि न प्रदान की जाय।

3- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रदेश की कारागारों में निस्द्ध बंदियों द्वारा किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के संचालन एवं प्रतिबन्धित सामग्री का प्रयोग किये जाने की सूचना यदि शासन में प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध वृहद दण्ड आकर्षित करने वाली अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:34/2017/922जेएल(1)/22-3-17-तददिनांक।

1- प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों (एस0टी0एफ0 एवं ए0टी0एस0) को निर्दिष्ट करें कि जेल से किसी अपराधी द्वारा अवांछित गतिविधियों के संचालन एवं मोबाइल फोन की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

2- प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा इस हेतु सम्बन्धित कारागारों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।